

**सिविल जज (सी०डि०), त्वरित न्यायालय
गाजियाबाद**

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब

(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)

न्यायालय त्वरित सिविल जज (सी०डि०) गाजियाबाद

वाद सं०-1200 / 2017

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, विकास पथ, हापुड रोड गाजियाबाद द्वारा
श्री दीनानाथ, अनुसचिव गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद।

.....वादी

बनाम

1. लल्लू राम पुत्र स्व० श्री चेताराम, निवासी-म०नं०-डी-207, सै०-19, विजयनगर
गाजियाबाद।
2. अमित कुमार सिंघल पुत्र श्री आनन्द प्रकाश सिंघल, निवासी- द्वितीय-ए / 191बी,
नेहरूनगर गाजियाबाद कर्ता अमित कुमार सिंघल एच०यू०एफ०।

.....प्रतिवादीगण

चूंकि ऊपर नामांकित वादी ने इस न्यायालय में विक्रय विलेख निरस्तीकरण हेतु वाद
योजित किया है अतएवं आपको एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उस आवेदन के खिलाफ
हेतु संदर्शित करने के लिये बतारीख 16.09.2019 बवक्त 10 बजे दिन में स्वयं या सम्पक
अनुदिष्ट अपने अधिवक्ता द्वारा उपसंजाता हो और ऐसा करने में असफल रहने पर उक्त
आवेदन एकपक्षीय सुना जायेगा और आवधारित किया जायेगा।

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर सहित आज बतारीख 01 / 08 / 19 को जारी किया
गया है।

दिनांक:

आदेशानुसार

मुंसरिम / रीडर

न्यायालय त्वरित सिविल जज (सी०डि०)
गाजियाबाद